न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
प्रार्थना पत्र संख्या 43 वर्ष 2016
श्योनारायण नाथ पुत्र सुखदेव जाति नाथ निवासी रिजोदा तहसील उनियारा जिला टोंक
बनाम
तहसीलदार उनियारा जिला टोंक
आदेश प्रार्थना 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामील में जारी हुए
12.3.2016	पत्रावली पेश हुयी । प्रार्थी के वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा उपस्थित। पेरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 वाके ग्राम रिजोदा तहसील उनियारा खाता संख्या 42 मे बुशीया पुत्र सुखदेवा अंकित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत छाया प्रति आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र व परिवार राशन कार्ड मे श्योनारायण पुत्र सुखदेवा अंकित है। सरपंच ग्राम पंचायत पचाला प्रमाण पत्र के अनुसार श्योनारायण उर्फ बुशीया एक ही व्यक्ति है। पेरोकार सरकार ने भी अपने जवाब मे राजस्व रेकार्ड बुशीया के स्थान पर श्योनारायण दर्ज किये जाने मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत नही की है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 वाके ग्राम रिजोदा तहसील उनियारा खाता संख्या 42 मे बुशीया के स्थान पर श्योनारायण नाथ अंकित करते हुये राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करे। पालना हेतु तहसीलदार उनियारा को लिखा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक	

Scanned by CamScanner